

प्रारूप - 14

परियोजना का नाम:- चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह
पम्पिंग पेयजल योजना।

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि ही उपलब्ध है। अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त निर्माण हेतु 1.351 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.068 हे० सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता है। उक्त पेयजल योजना का शासनादेश संख्या 701/उन्तीस(2)/15-2 (33पे०)/2012 देहरादून 14 मई, 2015 के द्वारा स्वीकृत है।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, जल निगम,
कोटा, जिला संसाधन
Uttarakhand Pahal Sansadhan
Vikas Evam Nirmen Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
✓
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल